न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–100 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1– तुलसाराम पुत्र हिमताराम उम्र 59 वर्ष 2– सुन्दरदेवी पुत्री हिमताराम उम्र 63 वर्ष 3– लीलादेवी पुत्री हिमताराम उम्र 54 वर्ष जाति कुम्हार निवासी भाटा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1– भाना पुत्र पुरखा उम्र 72 वर्ष 2–मिसरा पुत्र पुरखा उम्र 68 वर्ष 3– दूदाराम पुत्र हिमताराम (फौत) के कायम मुकाम 3/1– दिनाराम पुत्र दूदाराम उम्र 22 वर्ष जाति कुम्हार निवासी भाटा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4– कल्याणसिंह पुत्र केसरसिंह उर्फ किशोरसिंह उम्र 75 वर्ष जाति राजपुत निवासी भाटा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 5– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दाखा जिला बालोतरा 6–तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 11.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य [illegible] है कि [illegible] व प्रतिवादी सख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि मौजा भाटा पटवार हल्का [illegible] खेड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1025/83 रकबा 0.9927 हैक्टेयर, [illegible] संख्या 1026/83 रकबा 10.5976 हैक्टेयर का अवस्थित है [illegible] भाटा के खेत खसरा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

83 रकबा 84 बीघा 06 बिस्वा (13.6397 हैक्टेयर) की भूमि पुरखा वल्द किशना के नाम से दर्ज हुई। पुरखा का देहान्त हो गया तब उसके विरासत में खातेदारी उनके तीनो पुत्र हिमता, भाना व मिसरा के नाम से दर्ज हुई। आराजी में तीनो पुत्र हिमता, भाना व मिसरा प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा पैतृक है। कि वादग्रस्त आराजी पैतृक खातेदारी है। पैतृक सम्पति में पुत्र पुत्री तथा पोते–पोती का जन्म से हक व हिस्सा कि वादग्रस्त आराजी पूर्व पुरुष स्व. पुरखा से विरासत में हिमता को प्राप्त हुई है। स्व. पुरखा के फोत होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी की धारा 6 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण तथा हिमता का सामुहिक रूप हक हिस्सा हुआ। इस प्रकार उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक सहदायिकी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सयुक्त भूमि है जिसमें वादीगण, प्रतिवादी संख्या 3 का हिमता के साथ जन्म से हक उत्पन्न हो गया है और उक्त हिमता के साथ सहदायिकी के रूप में सदस्य बने गये है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 का हित हिन्दु मिताक्षरा सहदायिकी का हित सम्पति का यह अंश समझा जायेगा, जो उसे विभाजन में मिलता अगर विभाजन उसकी (पिता) मृत्यु के ठीक पहले किया गया होता, इस बात का विचार किये बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। अतः मौजा भाटा पटवार हल्का जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1025/83 रकबा 0.9927 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026/83 रकबा 10.5976 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/15 – 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे। तथा साथ ही प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया बैचान वादीगण के हक व अधिकारो की सीमा तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया किया जावे। अतः वादग्रस्त आराजी तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम किशनपुर में खेत खसरा नम्बर 12/9 रकबा 6.4720 हैक्टेयर में वादी प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक होने से वादीगण की खातेदारी की घोषित करते हुऐ वादी को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें व बाद घोषणा के प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 05 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में स्वयं वादी तुलसाराम पी. डब्ल्यु–1, खेताराम पी.डब्ल्यु–2 व शंकराराम पी.डब्ल्यु–3 के बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 जमाबंदी खाता संख्या 25, प्रदर्श पी–02 नामांतरकरण संख्या 53, प्रदर्श पी–03 नामांतरकरण संख्या 467, प्रदर्श पी–04 नामांतरकरण संख्या 478, प्रदर्श पी–05 नामांतरकरण संख्या 813 पेश किए गए।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि मौजा भाटा पटवार हल्का जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1025/83 रकवा 0.9927 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026/83 रकबा 10.5976 हैक्टेयर का अवस्थित है। कि वक्त बन्दोवस्त ग्राम भाटा के खेत खसरा संख्या 83 रकबा 84 बीघा 06 विस्वा (13. 6397 हैक्टेयर) की भूमि पुरखा वल्द किशना के नाम से दर्ज हुई। पुरखा का देहान्त हो गया तब उसके विरासत में खातेदारी उनके तीनो पुत्र हिमता, भाना व मिसरा के नाम से दर्ज हुई। आराजी में तीनो पुत्र हिमता भाना व मिसरा प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा पैतृक है। कि वादग्रस्त आराजी पैतृक खातेदारी है। पैतृक सम्पति में पुत्र–पुत्री तथा पोते–पोती का जन्म से हक व हिस्सा कि वादग्रस्त आराजी पूर्व पुरुष स्व. पुरखा से विरासत में हिमता को प्राप्त हुई है। स्व. पुरखा के फोत होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी की धारा 6 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण तथा हिमता का सामुहिक रूप हक हिस्सा हुआ। इस प्रकार उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक सहदायिकी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सयुक्त भूमि है जिसमें वादीगण, प्रतिवादी संख्या 3 का हिमता के साथ जन्म से हक उत्पन्न हो गया है और उक्त हिमता के साथ सहदायिकी के रूप में सदस्य बने गये है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते हैं इस प्रकार बावजूद निरन्तर कब्जा [illegible] भूमि की खातेदारी से महरूम हो गया। प्रतिवादी अपने हिस्से से अधिक [illegible] गया बैचान वादीगण के हक व अधिकारो की सीमा तक शुन्य व निष्प्रभावी [illegible]षित किया किया जावे। अतः वादी उक्त भूमि के रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 3 [illegible] प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि मौजा भाटा पटवार हल्का जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1025/83 रकबा 0.9927 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026/83 रकबा 10.5976 हैक्टेयर आया हुआ है। कि वक्त बन्दोवस्त ग्राम भाटा के खेत खसरा संख्या 83 रकबा 84 बीघा 06 बिस्वा (13.6397 हैक्टेयर) की भूमि पुरखा वल्द किशना के नाम से दर्ज हुई। पुरखा का देहान्त हो गया तब उसके विरासत में खातेदारी उनके तीनो पुत्र हिमता, भाना व मिसरा के नाम से दर्ज हुई। आराजी में तीनो पुत्र हिमता. भाना व मिसरा प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा पैतृक है। कि वादग्रस्त आराजी पैतृक खातेदारी है। पैतृक सम्पति में पुत्र पुत्री तथा पोते–पोती का जन्म से हक व हिस्सा कि वादग्रस्त आराजी पूर्व पुरुष स्व. पुरखा से विरासत में हिमता को प्राप्त हुई है। स्व. पुरखा के फोत होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी की धारा 6 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण तथा हिमता का सामुहिक रूप हक हिस्सा हुआ। इस प्रकार उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक सहदायिकी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सयुक्त भूमि है जिसमें वादीगण, प्रतिवादी संख्या 3 का हिमता के साथ जन्म से हक उत्पन्न हो गया है और उक्त हिमता के साथ सहदायिकी के रूप में सदस्य बने गये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया बैचान वादीगण के हक व अधिकारो की सीमा तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया किया जावे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्से की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारिणी है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भाटा पटवार हल्का जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1025/83 रकबा 0.9927 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026/83 रकबा 10.5976 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया क्रय वादीगण के हक व अधिकारो की सीमा तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के कायम मुकाम को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा यथावत रखते हुए प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

4 का 1/15 हिस्सा उनकी खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner